

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:-न0नि0वि0-08/2020-

17

सेवा में,

मेसर्स बिल्ड इंडिया
निदेशक श्री राजेश कुमार गुप्ता
पिता- स्व0 राम प्रसाद गुप्ता एवं अन्य
कतरासगढ़, धनबाद।

विषय: आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-949/15-16 संबंधित आपके आवेदन दिनांक-06.02.2016 के संबंध में।

धनबाद, दिनांक:- 22/6/20

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या-6529, 5833, 6034, 2094, 824, 5458, 547, 350, 412, 4525, 1390, 5588, 1618, 5240, 7951, 5098, 4530, 2593, 2573, 1389, 1388, 795, 17314, 14039, 793, 10568, 10567, 5800, 4199, 1285, 9636 एवं 9897 दि0- 29.07.2015, 14.07.2015, 20.07.2015, 18.03.2015, 01.12.2005, 01.07.2015, 28.11.2014, 21.01.2014, 22.01.2014, 18.05.2005, 01.02.2011, 23.07.2004, 01.03.2005, 06.06.1985, 04.10.2004, 31.05.2005, 18.05.2005, 13.03.2005, 23.03.2005, 01.02.2011, 07.02.2009, 29.12.2010, 07.10.2010, 07.02.2009, 04.12.2006, 05.07.2006, 20.05.2006, 20.02.2006, 31.12.2012 एवं 28.10.2001 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 1496(II)15-16, 1499(II)15-16, 1497(II)15-16, 1108(II)15-16, 1839(II)15-16, 1790(II)15-16, 1629(II)13-14, 191(ii)13-14, 190(II)14-15, 1182(II)05-06, 3150(II)10-11, 1262(II)03-04, 486(II)05-06, 485(II)05-06, 1180(II)05-06, 483(II)05-06, 1183(II)05-06, 476(II)05-06, 1181(II)05-06, 1362(II)13-14, 3159(II)10-11, 1771(II)15-16, 2432(II)10-11, 3152(II)10-11, 2428(II)10-11, 2422(II)10-11, 1500(II)15-16, 736(II)15-16, 2332(II)08-09, 1098(II)05-06, 2444(II)05-06, 1072(II)05-06 जमाबंदी संख्या- 7062, 7064, 7061, 6099, 6193, 6190, 5731, 5774, 5773, 2917, 4752, 2710, 2844, 2915, 1665, 1405, 2918, 1396, 2916, 5691, 4759, 6189, 4658, 4754, 4657, 4656, 7065, 6043, 1395, 6095, 3046, 2977 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 15-16 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0- 949/15-16 के नक्शों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि कोलाकुसमा मौजा सं0-12 अंतर्गत खाता सं0- 09, 10, 13, 21, 38, 45, 60, 62, 68, 70, 80, 81, 85, 95, 121 एवं 130 प्लॉट सं0-2744, 2858, 2846, 2839, 2845, 2853, 2847, 2844, 2752, 2745, 2754, 2838, 2738, 2753, 2843, 2851, 2857, 2852, 2742, 2856, 2842, 2841, 2747, 2849, 2850, 2743, 2854, 2848, 2808, 2809, 2751, 2796 एवं 2837 कुल रकमा- 403.456 डी0 भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेन्सी अभियन्ता श्री पियुष कांति सिंह की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगा। स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 02 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगा।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वामित्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पार्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रू- 41,61,288/- का $\frac{1}{3}$ भाग रू0- 13,90,000/- का बैंक ड्राफ्ट सं0- 561753 दि0- 15.06.2020 एवं रू0 13,85,644/- का दो पोस्ट डेटेड चेक सं0- 020847, 020848 दिनांक- 15.06.2021 एवं दिनांक- 15.06.2022 का जमा किया गया है।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। प्लान के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजात में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शों की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

कार्यपालक अभियन्ता,
नगर निवेशन विभाग,
झमाडा, धनबाद।

20/6/20 22.6.20